संख्या-144/2025/1372/सैंतीस-2-2025-1(17)/2024

प्रेषक,

रवीन्द्र प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।
2- **निदेशक,**
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-26 अगस्त, 2025

विषयः- **अनुदान संख्या 15 के अधीन मोबाइल वेटनरी यूनिट के संचालन हेतु काल सेन्टर का विस्तारीकरण योजना के संचालन हेतु गाइडलाईन्स।**

महोदय,

अवगत हैं कि प्रदेश में लगभग 520.37 लाख गोवंशीय/महिषवंशीय पशु हैं। प्रदेश की विशाल पशुधन सम्पदा को सुरक्षित, संवर्द्धित तथा रोगमुक्त रखने में पशुधन विभाग सतत प्रत्यनशील है। प्रदेश में आकस्मिक चिकित्सा एवं टेली मेडिसिन हेतु पशुपालकों की सुविधा के लिए फ्री टोल-फ्री नम्बर-1962 क्रियाशील है तथा प्रत्येक 01 लाख पशुधन की संख्या पर 01 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट इस प्रकार कुल 520 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट संचालित हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल 05 काल सेन्टर्स स्थापित हैं, जिन पर एक साथ 06 काल इस प्रकार एक समय में 30 कालें स्वीकार की जा रही हैं। एक समय में अधिक से अधिक काल प्राप्त कर पशुपालकों के पशुओं को त्वरित उपचार पहुंचाने के उद्देश्य से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या 15 के अधीन मोबाइल वेटनरी यूनिट के संचालन हेतु काल सेन्टर का विस्तारीकरण योजना प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी गाइडलाइन्स निम्नवत् हैः-

मोबाइल वेटनरी यूनिट के संचालन हेतु काल सेन्टर का विस्तारीकरण योजना

1- योजना की पृष्ठभूमि :-

प्रदेश की विशाल पशुधन सम्पदा को सुरक्षित, संवर्द्धित तथा रोगमुक्त रखने में पशुधन विभाग सतत प्रत्यनशील है। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित Establishment and Strengthening of Veterinary Hospitals and Dispensaries (ESVHD) योजना प्रदेश में पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (के.60/रा.40-के.+रा.) के नाम से संचालित है। प्रदेश में लगभग 520.37 लाख गोवंशीय/महिषवंशीय पशु हैं। उक्त योजनान्तर्गत प्रत्येक 01 लाख पशुधन की संख्या पर 01 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट इस प्रकार कुल 520 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट संचालित हैं। योजना का संचालन प्रदेश को 05 पैकेज क्रमशः मेरठ, आगरा, लखनऊ, वाराणसी एवं प्रयागराज में विभक्त कर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

05 अलग-अलग सेवाप्रदाता फर्मों के माध्यम से एम०वी०यू० वाहनों को व्यवस्थित कर हाईब्रिड मोड (50 प्रतिशत आकस्मिक एवं 50 प्रतिशत निर्धारित रूट) में किया जा रहा है। योजनान्तर्गत आकस्मिक चिकित्सा एवं टेली मेडिसिन हेतु पशुपालकों की सुविधा के लिए फ्री टोल-फ्री नम्बर-1962 क्रियाशील है। योजनान्तर्गत प्रत्येक सेवा प्रदाता फर्म द्वारा एक-एक इस प्रकार कुल 05 काल सेन्टर स्थापित किये गये हैं। प्रत्येक काल सेन्टर में 02 पशु चिकित्सा अधिकारी तथा 06 काल एक्जीक्यूटिव इस प्रकार 05 काल सेन्टर्स पर 10 पशु चिकित्सा अधिकारी तथा 30 काल एक्जीक्यूटिव कार्यरत हैं। वर्तमान में प्रत्येक काल सेन्टर पर एक साथ 06 काल इस प्रकार 05 काल सेन्टर्स पर एक समय में 30 कालें स्वीकार की जा रही हैं। एक समय में अधिक से अधिक काल प्राप्त कर पशुपालकों के पशुओं को त्वरित उपचार पहुंचाने के उद्देश्य से योजना प्रारम्भ की जा रही है।

2- <u>योजना का उद्देश्यः</u>

प्रदेश के पशुओं के चिकित्सकीय परामर्श हेतु पशुपालकों से प्राप्त होने वाली कॉल की संख्या काफी अधिक होने के कारण बहुत सी काल्स अनअटेण्डेड रह जाती हैं तथा काल वेटिंग टाइम भी अधिक होता है। इस वजह से पशुपालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक समय में अधिक से अधिक काल प्राप्त कर पशुओं को त्वरित पशु चिकित्सकीय लाभ पहुंचाना, योजना का प्रमुख उददेश्य है।

3- <u>योजना का स्वरुपः-</u>

ESVHD योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कार्यरत सेवा प्रदाता फर्में पैकेज के रूप में 05 कार्य कर रही हैं। योजनान्तर्गत स्थापित काल सेन्टर्स की क्षमता को दोगुना किये जाने हेतु प्रत्येक काल सेन्टर पर कार्यरत स्टाफ 02 पशु चिकित्साविद तथा 06 काल एक्जीक्यूटिव के अतिरिक्त 02 पशु चिकित्साविद तथा 06 काल एक्जीक्यूटिव की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है, जिससे अपेक्षाकृत अधिक से अधिक से पशुपालकों को पशु चिकित्सकीय लाभ प्राप्त हो सके। काल सेन्टर्स पर कार्यरत कार्मिकों के पारिश्रमिक तथा टेलीफोन के बीजकों का भुगतान 60 प्रतिशत (केन्द्रांश) + 40 प्रतिशत (राज्यांश) पैटर्न पर किया जाता है।

4- **<u>योजना का आच्छादन क्षेत्रः-</u>**

योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रदेश में स्थापित काल सेन्टर्स की क्षमता को दोगुना किया जाना है, जिससे इमरजेन्सी रूट की एम०वी०यू० वाहन द्वारा अधिक से अधिक पशुओं को चिकित्सा प्रदान की जा सकेगी तथा पशु चिकित्सीय परामर्श भी दिया जा सकेगा।

5- <u>योजना का लक्ष्यः-</u>

ESVHD योजना का संचालन हाईब्रिड मोड)50 प्रतिशत आकस्मिक एवं 50 प्रतिशत निर्धारित रूट वाहनों को व्यवस्थित कर किया जा रहा है। ०यू०वी०में एम (इन वाहनों द्वारा आकस्मिक रूप से काल सेन्टर पर प्राप्त होने वाली काल्स के सापेक्ष पशुपालकों के द्वार तक जाकर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। काल सेन्टर्स की क्षमता दोगुनी हो जाने के उपरान्त अटेण्डेड काल्स की संख्या में वृद्धि होगी तथा ESVHD योजनान्तर्गत संचालित वाहनों से अधिकाधिक पशुपालकों को अपेक्षित लाभ पहुंचाने के साथ ही टेली मेडिसिन के माध्यम से घर पर ही चिकित्सकीय सुविधायें उपलब्ध करायी जा सकेंगी।

6- **<u>आवेदन हेतु पात्रताः-</u>**

योजना लाभार्थीपरक योजना नहीं है। अतः आवेदन के लिए पात्रता की भी आवश्यकता नहीं है।

7- **<u>लाभार्थी चयन की प्रक्रियाः-</u>**

योजना लाभार्थीपरक योजना नहीं है।

8- <u>योजना का क्रियान्वयनः-</u>

मोबाईल वैन की सहायता से पशुपालकों के द्वार पर चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराना, प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे पशुपालकों के पशुओं को उन्नत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, विषय विशेषज्ञ की सहायता से पशुचिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करना, पशु बीमारियों पर नियंत्रण स्थापित करना, प्रदेश में होने वाली प्रमुख बीमारियों की निगरानी कर उचित व तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, पशुधन के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना, ग्राम स्तर पर पशुपालन के माध्यम से स्थिर रोजगार का सृजन करना आदि उददेश्यों की पूर्ति हेतु विभाग में ESVHD योजना संचालित है। योजना के वाहनों के संचालन हेतु प्रदेश को 05 पैकेज में विभक्त कर वाहन चालकों की व्यवस्था सेवा प्रदाता फर्मों के माध्यम से की गयी है। योजनान्तर्गत प्रदेश में कुल 05 काल सेन्टर स्थापित हैं। काल सेन्टर में काल एक्जीक्यूटिव तथा पशु चिकित्सा अधिकारी की संख्या दोगुनी हो जाने से वर्तमान में एक समय में 06 काल्स के सापेक्ष 12 काल प्राप्त की जा सकेंगी, जिससे काल वेटिंग टाइम कम होगा। फलस्वरूप अधिक काल्स को रिस्पान्स मिल पायेगा तथा अधिक से अधिक पशुपालकों तक सेवाओं का लाभ पहुँच सकेगा।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार योजना का प्राथमिकता पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

<u>पृ0सं0-144/2025/1372(1)/सैंतीस-2-2025-1(17)/2024, तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त/नियोजन/कृषि विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।